न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 02/2021
रजिस्ट्रेशन नं. :2021/00002

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा	बनाम	अभियुक्त :– श्री सुभाष अग्रवाल पुत्र श्री छितरमल अग्रवाल विक्रेता मैसर्स ब्रजवासी दुग्धालय, नीलकंठ महादेव मंदिर के पास नागरवाडा बॉसवाडा (राज.) स्थायी पता – 2बी–35 हाउसिंग बोर्ड कोलोनी बॉसवाडा

उपस्थित :–

श्री सुभाष अग्रवाल

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 27.01.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री अशोक कुमार गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक 01–01–2021 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 26–10–2020 को 11.15 ए.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जॉच हेतु मैसर्स ब्रजवासी दुग्धालय, नीलकंठ महादेव मंदिर के पास नागरवाडा बॉसवाडा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री सुभाष अग्रवाल पुत्र श्री छितरमल अग्रवाल उपस्थित थे। निरीक्षण करने पर विक्रेता की दुकान एक डी फ्रिजर में स्टील के भगोने में करीब 4 कि0ग्रा0 पनीर आम जनता को विक्रय हेतु पाया गया। इसमें सब स्टेण्डर्ड, अनसेफ का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर पर सूचना देते हुए एक स्टील के भगोने में आम जनता को बिकी हेतु रखे करीब 4 कि0ग्रा0 पनीर मे से 1 कि0ग्रा0 पनीर वास्ते नमुना जॉच हेतु साफ, सुखी एवं खाली स्टील की भगौनी में खरीदा तथा इनकी कीमत 300 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। वास्ते निरीक्षण खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन [illegible] 20 [illegible] दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता ने खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रेशन [illegible] नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा 1 कि0ग्रा0 पनीर के साफ सुखे स्टील के चाकु से छोटे छोटे टुकडे कर चा[illegible], सुखे व

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2021.02.03 10:08:54 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

खाली कॉच के जारो में बराबर–बराबर (प्रत्येक मे करीब 250 ग्राम) भरकर फार्मेलीन की 20 बूंद प्रत्येक में डालकर जार का मुह ढक्कन की सहायता से कसकर एयर टाईड बन्द किया। उक्त चार नमुना भागो में से एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2020/233 दिनांक 02.11.2020 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 169 दिनांक 29.10.2020 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **पनीर** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाये जाने से विक्रेता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 04–01–2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 27.01.2021 को अभियुक्त **श्री सुभाष अग्रवाल पुत्र श्री छितरमल अग्रवाल** ने न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2020/233 दिनांक 02.11.2020 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 169 दिनांक 29.10.2020 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **पनीर** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ZX) [illegible] होना पाया गया। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार [illegible] अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नही होती हैं। इस कारण प्रकरण [illegible] अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2021.02.03 10:08:54 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड किया गया **पनीर** विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 का उल्लंघन किया है आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर **श्री सुभाष अग्रवाल पुत्र श्री छितरमल अग्रवाल विक्रेता मैसर्स ब्रजवासी दुग्धालय, नीलकंठ महादेव मंदिर के पास नागरवाडा बॉसवाडा (राज.) स्थायी पता – 2बी–35 हाउसिंग बोर्ड कोलोनी बॉसवाडा** को रूपये 20000/– (अक्षरे रू. बीस हजार रुपया मात्र) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2021 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2021.02.03 10:08:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner